14.5.22	पत्रावली मा. हाईकोर्ट लोक अदालत से पेश हुई। वकील वादी एक पक्षीय बहस सुन चुके हैं। पत्रावली का अवलोकन से वादी द्वारा साबित का प्रमाणित नहीं होने कारण नकमत्य किया जाता है अत: वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] न [illegible], तदनुसार	साबित प्रमाणित नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:40 IST
Reason: SelfAttested

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दी गई व आवेदन पत्र, वादीनी द्वारा प्रस्तुत ~~शपथ~~ शपथपत्र दस्तावेज का अवलोकन करने पर तथा लोक अदालत की भावना ध्यान में रखते हुये, वाद वापिस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से, स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आदेशार्थ किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 17/2022 तारीख दायरा 25.02.2022

उनवान

1. सरिता शर्मा पत्नी दिनेश शर्मा उर्फ उमेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम 651 बोम्बे योजना सुभाष नगर 2 कोटा।
2. पूर्वी शर्मा नाबालिक,
3. घनिष्ठा शर्मा नाबालिक,
4. ध्रुवी शर्मा नाबालिक पुत्रियां दिनेश शर्मा उर्फ उमेश शर्मा जरिये संरक्षक सरिता शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान हाल मुकाम 651 बोम्बे योजना सुभाष नगर 2 कोटा। – वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश नामदेव (वकील वादीगण) दिनांक :– 14.05.2022

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:40 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य ... र हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के पति एवं पिता दिनेश शर्मा उर्फ उमेश का स्वर्गवास दिनांक 13.5.2021 को हो चुका है। वादीगण के स्वर्गीय

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

पति एवं पिता के कब्जे एवं स्वामित्व की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता संख्या नई 4 पुरानी 35 के खसरा नं0 599 की 1.23 हैक्टर खसरा नं0 599/753 की 0.05 हैक्टर खसरा नं0 621 की 1.66 हैक्टर कुल किता 3 की 2.94 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा एवं मालग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद खाता संख्या नई 2 पुरानी 39 खसरा नं0 129 की 4.70 हैक्टर खसरा नं0 152/314 की 0.10 हैक्टर खसरा नं0 166 की 0.55 खसरा नं0 63 की 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 5.75 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज किया हुआ है।

वादीगण के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उमेश पुत्र गजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से दर्ज किया गया है जो गलत है। वास्तविकता में वादीगण के पति व पिता का नाम अन्य तमाम दस्तावेजों में दिनेश शर्मा पुत्र गजेन्द्र कुमार दर्ज किया हुआ है जो सही है परन्तु वादीगण के पति व पिता का दिनांक 13.05.2021 को स्वर्गवास हो जाने के बाद वादिनी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज के साथ दिनांक 10.01.2022 को तहसीलदार सांगोद के यहां वास्ते फौती इन्तकाल दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया जिसे तहसीलदार सांगोद द्वारा वादिनी के स्वर्गीय पति का नाम राजस्व रिकार्ड में उमेश होने व अन्य तमाम दस्तावेजों में दिनेश शर्मा के नाम से होने से न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद के यहां कार्यवाही करने को कहा गया। इसलिए वादीगण का वाद प्रस्तुत कराना आवश्यक हो गया है।

अतः वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि :–

वादीगण के स्वर्गीय पति एवं पिता के कब्जे एवं स्वामित्व की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता संख्या नई 4 पुरानी 35 के खसरा नं0 599 की 1.23 हैक्टर खसरा नं0 599/753 की 0.05 हैक्टर खसरा नं0 621 की 1.66 हैक्टर कुल किता 3 की 2.94 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा एवं मालग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद खाता संख्या नई 2 पुरानी 39 खसरा नं0 129 की 4.70 हैक्टर खसरा नं0 152/314 की 0.10 हैक्टर खसरा नं0 166 की 0.55 खसरा नं0 63 की 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 5.75 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:40 IST
Reason: Self Attested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा।)

रिकार्ड में उमेश पुत्र गजेन्द्र कुमार का नाम दुरस्त कर दिनेश शर्मा पुत्र गजेन्द्र कुमार किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाये जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 प्राप्त हुआ जिसमें मृतक दिनेश शर्मा के वारिसान की रिपोर्ट पेश की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं सरपंच दीगोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए जिसके अनुसार दिनेश एवं उमेश एक ही व्यक्ति के नाम हैं। दिनांक 14.5.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, पहचान के दस्तावेज, जवाब सरकार एवं वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं सरपंच दीगोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता संख्या नई 4 पुरानी 35 के खसरा नं0 599 की 1.23 हैक्टर खसरा नं0 599/753 की 0.05 हैक्टर खसरा नं0 621 की 1.66 हैक्टर कुल किता 3 की 2.94 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा एवं मालग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद खाता संख्या नई 2 पुरानी 39 खसरा नं0 129 की 4.70 हैक्टर खसरा नं0 152/314 की 0.10 हैक्टर खसरा नं0 166 की 0.55 खसरा नं0 63 की 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 5.75 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में उमेश पुत्र गजेन्द्र कुमार का नाम दुरस्त कर दिनेश शर्मा पुत्र गजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:40 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहारावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:40 IST
Reason: SelfAttested